


26

नवापदेश

जिला - विदिशा
पक्षकारों एवं अग्रिम
आदि के हस्ताक्षर

न्याय माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /२०१८ निगरानी - २९६१/२०१८/विदिशा/भृत्य

कृष्ण कुमार कुमार
 श्री १५.५.१८
 द्वारा आज दो रुपये दो रुपये
 प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क दो रुपये
 दिनांक २८.५.१८

कृष्ण कुमार कुमार
 १५.५.१८

(V.K.SHUKLA)
 १५.५.१८

T.C. १५.५.१८
 १५.५.१८

- जितेन्द्र सिंह राजपूत पु0 श्री इन्दर सिंह राजपूत आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम आटासेमर
- धनतीर सिंह पु0 श्री इन्दर सिंह राजपूत आयु 38 वर्ष, निवासी आटासेमर
- गोलेन्द्र सिंह पु0 श्री इन्दर सिंह राजपूत आयु 36 वर्ष, निवासी आटासेमर निवासी गण ग्राम आटासेमर तह0 गंज बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0)

..... आवेदक निगरानीकर्ता
विरुद्ध

- रामकुमारी पर्णि श्री खिलान जाति चिढ़ार
- कल्याण पु0 खिलान जाति चिढ़ार
- मीठू पुत्री खिलान जाति चिढ़ार निवासी गण ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0)
- बदूआ उर्फ बाबूलाल पु0 मुनीरा जाति मैडार निवासी ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0)
- कनू पुलाल युलाद जाति धोनाक निवासी ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0)
- रुपा पुलाल युलाद जाति हरिजन निवासी ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0) अनावेदक गण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यसूचिराइस0 1959 के अंतर्गत आदेश दिनांक 16.03.16 पुक्र0 108ए 74/ 17-18 व मासले जांच आवेदन शासन वनाय नितेन्द्र सिंह आदि प्रमाण आटासेमर तहसील बासौदा जिला विदिशा भ0 प्र0 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील बासौदा जिला विदिशा भ0 प्र0 !

माननीय गवर्नर

अनावेदक गणों ने इस से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

गिरंतर...2

जितेन्द्र सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2961/2018/विदिशा/भू.रा.

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री व्ही.के. शर्मा एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p> 	